(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1205–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार ओरछा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–3/2013–14

.....

1– पूरन
2– जयराम पुत्रगण मन्नूलाल कुशवाह,
निवासी–नक्टा, तहसील–ओरछा,
जिला–टीकमगढ़ ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– भावना सिंह पत्नी मनीष सिंह सेंगर
निवासी–राजघाट के पीछे, बैंकर कालोनी
आवास विकास, झॉसी (उ0प्र0)
2– मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

.....

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक,
श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय अभिभाषक , अनावेदक क्र02

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 4/4/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार ओरछा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगणों की भूमि सर्वे क्र0 25, 27 से होकर अनावेदक का सर्वे क्र0 2/1 है । आवेदकगणों के सर्वे नं0 25, 27 की मेड़ से होते हुये सर्वे नं0 2/1 से जाने का रास्ता है जिस पर अनावेदक द्वारा होटल बनवाया जा रहा है जिस कारण मार्ग अवरोध हो गया है, इस दृष्टि से आवेदकगण की स्वत्व आराजी में से नया रास्ता मांगने हेतु न्यायालय तहसीलदार ओरछा के समक्ष एक आवेदन पत्र मय धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 से स्वीकार किया गया । उक्त पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य है । अनावेदक का खसरा नं0 2/1 में जाने के लिये झांसी से टीकमगढ़ रोड जाते है तो बीच में चन्द्रशेखर आजाद शहीद स्मारक के सामने से सातार नदी के किनारे होते हुये खसरा नं0 27 की मेड़ फिर 25 की मेड़ होते हुये सर्वे नं0 2/1 के व्यवहारिकता में जाने हेतु आवेदकगण द्वारा कभी विरोध नहीं किया अब चूँकि होटल बन रहा है, होटल जाने के लिये आवेदकगण की स्वत्व, स्वामित्व की आराजी में से नया रास्ता देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है फिर भी तहसीलदार द्वारा नया रास्ता देने हेतु जो प्रक्रिया चालू कर तरमीम की कार्यवाही की वह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक ओरछा का प्रतिवेदन दिनांक 17.02.2014 का जो तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया उसमें भी उल्लेख है कि सभी कृषकों को सूचना देकर विधि कार्यवाही करने के बाद ही रास्ता व तरमीम की कार्यवाही करें, इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया है । अनावेदक सिविल डिक्री के आदेश का गलत मतलब निकालकर तहसीलदार को गुमराह का जो कार्यवाही तहसीलदार कर रहे वह निरस्तीय योग्य है । सिविल डिक्री एवं रजिस्ट्री में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि सर्वे क्रमांक 2/1 में जाने का पूर्व में रास्ता था परन्तु अनावेदक, आवेदक का अनपढ़ होने का लाभ उठाने हेतु जो नक्शा

में उल्लेख कर उसी अनुसार तहसील से कार्यवाही कराना चाहता है उससे आवेदकगण की स्वत्व की आराजी कम होगी । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्र0 1 एवं 2 के अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश को विधिनुकूल व न्यायसंगत मानते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय में अनावेदक के आवेदन से स्पष्ट है कि उसने सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर नक्शे में तरमीम का अनुरोध किया है प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि मॉगे गये रास्ते की प्रविष्टि वर्तमान में भू–अभिलेखों तथा वाजिबुल अर्ज में नहीं है। सिविल कोर्ट के आदेश पर प्रथमतः निजी भूमि में से रास्ते की प्रविष्टि संहिता की धारा 242 में ही की जा सकती है । उक्त प्रविष्टि के उपरांत ही नक्शे में रास्ता दर्शाया जा सकता है । संहिता की धारा 242 के अन्तर्गत कार्यवाही का अधिकार तहसीलदार को न होकर अनुविभागीय अधिकारी को है । स्पष्ट है कि तहसीलदार को उक्त प्रकरण में अनावेदक के आवेदन पर कार्यवाही का अधिकार नहीं था अतः उनके विरूद्ध लंबित कार्यवाही उनके अधिकार से परे होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6– फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार के समक्ष लंबित कार्यवाही निरस्त की जाती है । अनावेदक सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही के लिये स्वतंत्र है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर